पत्रांक–श्रम क०सं०–74 / 2024–939

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 कामगार का स्वाभविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 30,000/– (तीस हजार रूपए) अर्थात् **कुल राशि रू० 30,000/– (तीस हजार रूपए मात्र)** का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०–806, दिनांक–05.08.2024 के क्रम संख्या–**02** में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त विमुक्ति आदेशों के क्रम संख्या–02 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का Account Doesn't Exist रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०–806, दिनांक–05.08.2024 के क्रम संख्या–**02** को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक–1710, दिनांक–22.11.2025 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार के आश्रितको स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र.सं	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व0 भागवत दास, 48, दसई दास, अनुसूचित जाति	फुलेश्वरी देवी (पत्नी)	1710 22.11.2025 एवं 776 10.07.2024	ग्राम–बाबु मुहल्ला, पो0+थाना+प्र0–महनार, जिला–वैशाली 9102883010	**5245108004363**	**CANARA BANK CNRB0005245**	रू0 30,000/– (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल:–रू० 30,000/–

(तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०–806, दिनांक–05.08.2024 के क्रम संख्या–**02** को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/–
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/–
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :–श्रम क०सं०–74 / 2024–939 **पटना, दिनांक :–** 23 / 07 / **2026**

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रू 30,000/– (तीस हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम

अधीक्षक, वैशाली / उप श्रमायुक्त, वैशालीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20/07/2026

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक